(Form -4)

Undertaking/वचन

-7 -	
	सुपुत्र / सुपुत्री / पत्नी श्री गांव गांव
	ं का रहने वाला / वाली हूँ और अपने
हल्फ से	िनिम्नलिखित ब्यान करता / करती हूँ :
4 5	ਰਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤਰਤ ਸਤੇ ਤਰ ਰਹਾਈ ਵਿਚਾਸ਼ੀ ਤੱਂ।
1. 4	यह कि मैं उक्त पते का स्थाई निवासी हूँ।
2. و	यह कि मैनें आज तक उद्यान विभाग स पोली हाउस/नैट हाउस/वाक इन टनल के
	लेए कोई भी अनुदान राशि प्राप्त नहीं की है।
3. ર	यह कि हमारी जमीन एकड़ सांझा खाते की है।
4. Z	यह कि मैं कुल जमीनएकड़ का मालिक व काश्त करता है/करती हूँ। मैं
1	गांव जिला गें खेवट नंo .
	किला नं0पर पोली
<u>ਵ</u>	हाउस/नैट हाउस/वाक इन टनल लगवाना चाहता/चाहती हूँ। उपरोक्त खसरा नं० व
	केला नं0 पर मेरा मालिकाना हक व स्वयं काश्त करता हूँ / करती हूँ ।
	उपरोक्त खसरा नं0 व किला नं0 में पोली हाउस/नैट हाउस/वाक इन टनल लगाने पर
	नेरे किसी भी हिस्सेदार को कोई आपत्ति नहीं है। यदि भविष्य में कोई आपत्ति करता
	है/करती है तो मैं स्वयं जिम्मेदार रहूंगा/रहूंगी। इसमें उद्यान विभाग की कोई
	जिम्मेदारी नहीं होगी।
	गोली हाउस/नैट हाउस/वाक इन टनल का डिजाईन उपरोक्त खसरा नं0 व किला नं0
	हे लिए दुरूस्त है। डिजाईन से संबंधित कोई आपित्त आती है तो इसके लिए मेरी स्वयं
	की जिम्मेदारी होगी।
	यह कि उपराक्त खसरा नं0 व किला नं0 की मिटटी व पानी पोली हाउस/नैट
	राउस/वाक इन टनल की खेती के लिए उपयुक्त है व इसकी गुणवता की जिम्मेदारी
	ोरी स्वयं की है।
	ौं उद्यान विभाग द्वारा निर्घारित मापदण्डों के अनुसार पोली हाउस/नैट हाउस/वाक इन
	टनल का निर्माण करूंगा/करूंगी।
	ौं उद्यान विभाग के मानदण्डों व दिशानिर्देशों का पालन करूंगा/करूंगी।
10. ਮੈ	ौं पोली हाउस/नैट हाउस/वाक इन टनल को 8 वर्ष तक सुचारू रूप से चलाउंगा।
	यह कि मेरे जमीन संबंधी कागजात व अन्य कागजात मेरे द्वारा जमा किये गये हैं व
	रुरूस्त हैं। मैं किसी गलत सूचना के लिए जिम्मेदार हूँ।
	पदि भविष्य में कोई हिस्सेदार या अन्य इस पर न्यायालय में केस दायर करता है/करती
ਵੇਂ	है तो उसकी भी जिम्मेदारी मेरी होगी।

दिनांक प्रार्थी

स्थान